16/8/24

—:आदेश:—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जाब्ता दिवानी
अनवान भरपूर सिंह बनाम सुखजीत कौर

प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जाब्ता दिवानी अधिवक्ता प्रार्थी श्री चैन सिंह शेखावत द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण में प्रार्थी ने अपनी सांझा खाता की कब्जाशुद्दा कृषि भूमि में आवागमन हेतू रास्ता दिये जाने की इस्तदुआ की है। प्रार्थना पत्र दायरी के समय प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण प्रार्थी अपने अधिवक्ता को प्रकरण की वस्तुतः स्थिति से पूर्णतया अवगत नही करा सका था, जिस कारण प्रार्थना पत्र में पक्षकारों के संयोजन, मांगशुदा रास्ते की वस्तुस्थिति, किला संख्या वर्णन आदि कई प्रारूपिक त्रुटिया रह गई है। प्रार्थी प्रारूपिक त्रुटी सुधार हेतू नया प्रार्थना पत्र संस्थित करने की अनुमति के साथ प्रश्नगत प्रार्थना पत्र को विड्रो करना चाहता है। प्रार्थी सदभावी व नेकनियत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को नया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीए संस्थित करने की अनुमति के साथ प्रार्थना पत्र विड्रो किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र अधिवक्ता अप्रार्थी श्री जसपाल सिंह दहिया द्वारा अप्रार्थी नं. 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू निराधार तथ्यों पर आधारित एंव बिना किसी कानूनी आवश्यक्ता के विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी नं. 1 ता. 3 के द्वारा उक्त अनवान के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया है कि सान्झा खाता की कृषि भूमि में से प्रार्थी अपना हिस्सा का खाता संयुक्त हिस्सेदारों से विभाजन करवाने से पहले खाता विभाजन में अलग से बीघा नम्बरों में कृषि भूमि प्राप्त करने से पहले विशेष किला नम्बरों में रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ही चाहा गया रास्ता को मौका पर बन्द होना स्वीकार किया है। जिससे साबित है कि प्रार्थी का चाहा गया रास्ता पहले कभी भी चालू नहीं रहा है। प्रार्थी ने हम अप्रार्थी न. 1 ता 3 को तंग परेशान करने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 का आर टी ए खारिज योग्य है। अपने प्रार्थना पत्र की दफा 3 में प्रार्थी ने कथित तौर पर उक्त चक 47 एस एस डब्ल्यू का प.न. 65/327 का कि.न. 17 में 10 बिस्वा व 18 ता 25 की कुल 8 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि को रास्ता स्वीकृत करवाने अपनी भूमि होनी दर्शाई है। जिसके यानि उक्त प.न. 65/327 कि.न. 20 से इसी चक 47 एस एस डब्ल्यू का प.न. 64/327 का कि.न. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 व प.न. 65/327 कि.न. 1/2, 2/2 के प्रत्येक बीघा में 0.0250 है पूर्व पश्चिम [illegible] स्वीकृत शुदा व चालू है। जिससे उक्त प.न. 65/327 का कि.न. [illegible] 0.0250 है. रास्ता स्वीकृत शुदा व चालू है। [illegible] कि.न. 1/1, 10, 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.02 15:15:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थी का कथित रकबा मात्र 2 बीघा 18 बिस्वा दूरी पर है।

जबकि उक्त प.न. 65/327 का कि.न. 3/1, 4/1, 7, 6/2 में ए आर डब्ल्यू नहर चल रही है। जिसका पुल जो प.न. 65/327 का कि.न. 2/2, पर बना हुआ व चालू है। जिससे उक्त प.न. 65/327 का कि.न. 2/2, 3/1, 4/1, 7, 6/2, 6/1, 15/2, 15/1, 16 में से होकर प्रार्थी का चाहा गया रास्ता उक्त प.न. 65/327 का कि.न. 16 तक 6 बीघा दूरी का है। जिससे प्रार्थी को उक्त वर्णित अनुसार 2 बीघा 18 बिस्वा की कम लम्बाई का रास्ता लगता होने से प्रार्थी उक्त 6 बीघा अधिक लम्बाई का रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थी कानूनन हकदार नहीं है। जबकि अप्रार्थी नं. 1 के नाम उक्त चक 47 एस एस डब्ल्यू का प.न. 65/327 मु.न. 26 कि.न. 6/1/0.0070, 14/2/0.0510, 15/1/0.1950 की कुल 0.2530 है. कृषि भूमि सान्झा खाता की नहीं है। जो कि अप्रार्थी नं. 1 की स्वंय अर्जित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उक्त अनुसार प्रार्थी अधिक दूरी यानि लम्बाई का रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार नहीं है। जबकि प्रार्थी को चाहा गया रास्ता के विकल्प के रूप में उक्त प.न. 65/327 का कि.न. 20 तक पहुँचने के लिये उक्त प.न. 65/327 का कि.न. 1/1, 10, 11 में कम दूरी (लम्बाई) का जो मात्र 2 बीघा 18 बिस्वा लम्बाई का रास्ता होगा के अलावा उक्त वर्णित अनुसार कानूनन 6 बीघा की दूरी (लम्बाई) का रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार नहीं है। जबकि उक्त अनुसार अपना खाता विभाजन करवाने से पहले प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र पेश करने का हकदार नहीं है। प्रार्थी ने विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज किया जावे। प्रार्थी ने अपना मूल प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 251 (क) के प्रावधानों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज किया जावे।

प्रार्थी ने अपने मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए में प्रार्थी का जेल में होने का कोई विवरण नहीं दिया है। प्रार्थी ने मन मर्जी से विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो उक्त अनुसार काबिल खारिज होने से प्रार्थी निर्णय से बचने के लिये प्रार्थना पत्र विड्रो करने का कानूनन हकदार नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट एंव जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी नं. 1 ता 3 की ओर से मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए का मय सबूत पेश किया जा चुका है जो कि बहस पर जेरकार है। जिससे प्रार्थी को अपना मूल प्रार्थना पत्र 251 क आरटीए को खारिज होने का अन्देशा हो लिये प्रार्थी अपने मूल प्रार्थना पत्र को विड्रो करना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना इस पत्र बाबत प्रकरण को विड्रो करने का यानि वापिस लेने का प्रस्तुत करने से साबित है कि प्रार्थी प्रकरण को आगे नहीं [illegible] चाहता है। जिससे प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] आरटीए खारिज हो कर अन्तिम रूप से निस्तारित [illegible] प्रार्थी किन्ही शर्तों के अधीन नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है। प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.02 15:15:48 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अतः उपरोक्त अनुसार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए को खारिज किया जावे। प्रार्थी को नया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए पेश करने की अनुमति नहीं दी जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

बहस उभय पक्ष सुनी गई प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र का गहन अवलोकन किया गया बहस पर मनन कर अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के स्तर से त्रुटि की अधिकता होने के कारण निर्णय में देरी संभव है इसलिए प्रार्थना पत्र चलाये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश 23(3)(क) के तहत नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर विड्रो करने करने की अनुमति प्रदान कर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) विड्रो किये जाने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.02 15:15:48 IST
Reason: SelfAttested